



डॉ० अर्चना श्रीवास्तव, 2. डॉ०
राजीव कुमार श्रीवास्तव

सतत विकास एवं लैंगिक समस्या

शिक्षा शास्त्र, 2. असिस्टेंट प्रोफेसर – समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा पी जी कालेज,
सुदृष्टिपुरी- रानीगंज, बलिया (उ०प्र०) भारत

Received-28.10.2025,

Revised-05.11.2025,

Accepted-12.11.2025

E-mail: rksharapur1974@gmail.com

सारांश: सतत विकास एक बहुआयामी एवं भविष्योन्मुखी योजना है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मानवीय विकास एवं पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग में इस प्रकार समन्वय स्थापित करता है, जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भावी पीढ़ी के हितों को संरक्षित किया जा सके। इसके केन्द्र में न्यायसंगत एवं समावेशी वैश्विक समाज का लक्ष्य है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की सफलता से प्रोत्साहित होकर इसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में 'ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्ड' द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को स्वीकार किया। जिसमें 17 लक्ष्य एवं उनके 169 टारगेट को शामिल किया गया है। संधारणीय विकास हेतु जिन 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया उसमें 5वाँ लक्ष्य लैंगिक समानता की प्राप्ति को रखा गया है। भारत सहित 193 देशों ने सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इसे स्वीकार किया जिसे जनवरी, 2016 में लागू किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एजेण्डा 2030 में निर्धारित 17 लक्ष्यों को स्वीकार करते हुए 5वाँ लक्ष्य लैंगिक समानता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत है। जिसके अन्तर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टाप सेन्टर योजना, महिला हेल्प लाइन योजना, महिला शक्ति केन्द्र, सुकन्या समृद्धि योजना, धनलक्ष्मी योजना, बालिकाओं हेतु विभिन्न क्षेत्रों में छात्रवृत्ति की योजना आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, लिंगानुपात व खेलकूद जैसे क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

कुंजीशुभ शब्द— सतत विकास, लैंगिक समानता, समावेशी, सहस्राब्दि विकास, भविष्योन्मुखी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिंगानुपात।

सतत विकास सामाजिक एवं आर्थिक विकास की एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति की सहनशक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। सतत विकास की अवधारणा का उद्भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने या उसके बन्द होने के भय से हुआ। सतत विकास प्राकृतिक एवं सामाजिक संसाधनों के न्यायोचित उपयोग की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। सतत विकास का अर्थ यह है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न करके, पर्यावरण और परिस्थितिकी के बचाव को ध्यान में रखकर इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इन संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। सतत विकास के केन्द्र में न्यायसंगत एवं समावेशी समाज का लक्ष्य है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में 'ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्ड : द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' शीर्षक वाले फ्रेमवर्क को अंगीकार किया। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। इस एजेण्डे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य शामिल हैं। सतत विकास एजेण्डा का लक्ष्य 5 लैंगिक असमानता को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरन्तर कार्रवाई का आह्वान करता है, जिसके अन्तर्गत हर जगह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को कम करने।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करने, जिसमें तस्करी और यौन शोषण भी सम्मिलित है, का लक्ष्य रखा गया। राजनीति, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार देने के साथ भूमि और सम्पत्ति के अन्य स्वरूपों पर स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने हेतु कानून और ठोस नीतियाँ बनाना।

लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु उपरोक्त क्षेत्रों में सम्पूर्ण विश्व सहित भारत में भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। लैंगिक समानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव न करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करने से है।

भारतीय समाज की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' से प्रेरित मानव समाज में स्त्री सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विद्योत्तमा जैसी महिलाओं को उस युग में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास का एक दूसरा पहलू यह भी है, जिसमें सीता, द्रौपदी व शकुन्तला के दुःखों का वर्णन किया है, जो हमारे धर्मग्रंथों में उपलब्ध है। मनु के अनुसार तो 'स्त्री के लिए पति सेवा ही गुरुकुल में वास और गृहकार्य अग्नि होम है।' मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति निरन्तर दयनीय होती गयी। सती प्रथा, कन्या वध जैसी कुरीतियों से स्त्रियों की स्थिति निरन्तर दयनीय होती गयी। स्त्रियाँ पूरी तरह पुरुषों के अधीन हो गयीं। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रभावित तत्कालीन समाज सुधारकों ने स्त्रियों को सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, कन्या वध जैसी कुप्रथाओं से मुक्त किया। महात्मा गांधी के अनुसार, "स्त्रियों को अबला कहना उचित नहीं है। यह पुरुषों का स्त्रियों के प्रति अन्याय है। यदि शक्ति का तात्पर्य पाशविक शक्ति से है तो स्त्री निश्चय ही पुरुष से कम पशुवत है। परन्तु यदि शक्ति का तात्पर्य नैतिक बल से है तो स्त्री पुरुष से कहीं आगे है।"¹

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान में स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिये जाने के बाद अभी भी समाज में स्त्रियों को दोगले दर्जे का स्थान प्राप्त है। भारतीय समाज में स्त्री जनसंख्याकीकय दृष्टि से लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, किन्तु समाज के प्रत्येक स्तर पर उसे लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 'विश्व आर्थिक मंच' की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा। इन सूचकांक में बांग्लादेश का स्थान 59वाँ, चीन का 107वाँ, भूटान का 103वाँ, श्रीलंका का 115वाँ और नेपाल का 116वाँ स्थान है। यह रिपोर्ट महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

ASVP PIF-9.805 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14



बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुँच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे संकेतकों पर आधारित है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लैंगिक असमानता साठ फीसदी से भी अधिक है।¹

लैंगिक असमानता केवल महिलाओं के विकास में ही बाधक नहीं है बल्कि इससे राष्ट्र का आर्थिक व सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहा है साथ ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रयासरत है। इस स्थिति में समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। प्रस्तुत पत्र में भारत में लैंगिक समानता की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

साहित्य समीक्षा : एम0एन0 श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक 'द चेंजिंग पोजिशन ऑफ इंडियन वूमेन' में बताया कि लम्बे समय से हिंसा व उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अभी इससे बाहर निकलने में वक्त लगेगा। इस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में जब तक महिलाएँ कानूनी संरक्षक के अधिकार प्राप्त नहीं कर लेतीं, तब तक वे अपने विरुद्ध हो रहे हिंसा का सामना नहीं कर सकती और ना ही अपने अनुरूप भविष्य का ही निर्माण कर सकती हैं।²

आशा कौशिक ने 'नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ' में बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में महिला पुरुष के बीच काफी असमानता है। इसके साथ ही साथ समाज, संस्कृति व शक्ति संरचना में वैचारिक एवं व्यावहारिक दोनों आधारों पर काफी भिन्नता है।³

स्वप्निल सारस्वत ने 'महिला विकास एक परिदृश्य' में उल्लेख किया कि यदि महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा सहभागिता करेंगी, तो उनकी पारिवारिक प्रस्थिति में सुधार होगा तथा साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने में उनको महत्व भी दिया जाने लगेगा। उन्होंने कहा कि विधायिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलनी चाहिए।⁴

मिनाक्षी निशांत सिंह ने 'महिला सशक्तिकरण का सच' में महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख किया है जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, कन्या भ्रूण हत्या, कामकाजी महिलाओं की समस्या, घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध आदि हैं। उनके अनुसार महिलाओं को सशक्त बनाने व लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएँ शिक्षित और जागरूक हों ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें।⁵

नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज में महिलाएँ' में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति का ऐतिहासिक एवं सामाजिक विश्लेषण करते हुए इनका विमर्श प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हेतु राजनीतिक सहभागिता भी अपरिहार्य है।⁶

डॉ0 अनीता मोदी ने 'महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम' में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों जैसे—महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं राजनीति में सहभागिता को सामने लाया है। इनके अनुसार महिलाओं के खिलाफ भेदभाव एवं शोषण का सबसे प्रमुख कारण महिलाओं में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। इनके अनुसार केवल आरक्षण के द्वारा ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता बल्कि समाज व पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता में सुधार हेतु महिलाओं को खुद आगे आना होगा।⁷

कमला, भसीन ने 'भारतीय सन्दर्भ में नारी सशक्तिकरण' में बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाकर ही पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी जा सकती है।⁸ लीना नायर ने 'महिला सशक्तिकरण सरकार का दृष्टिकोण' में बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक भेदभाव को दूर करने हेतु अनेकों नीतियाँ, योजनाएँ व कानून बनाये गये हैं किन्तु इसके बाद भी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव जारी है।⁹ उपरोक्त साहित्यावलोकन से यह स्पष्ट है कि महिलाओं को सशक्ति बनाने एवं लैंगिक भेदभाव को दूर करने के विभिन्न प्रयासों के बाद आज भी महिलाएँ भेदभाव की शिकार हैं।

उद्देश्य : महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक भेदभाव का विश्लेषण करना। लैंगिक असमानता अथवा भेदभाव सम्पूर्ण विश्व की समस्या है, सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, किसी महामारी से भी अधिक भयावह है। 25 नवम्बर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वुमेन के आँकड़ों के अनुसार औसतन 137 महिलाओं की हत्या हर रोज उनके परिवार के लोगों द्वारा की जाती है। हर तीन में से एक बच्ची स्कूल में अपने सहपाठी द्वारा मारपीट को झेलती है। उच्च पदों पर आसीन महिलाएँ भी इससे अछूती नहीं हैं। इंटर पार्लियामेंटैरियन यूनियन के 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65 प्रतिशत महिला सांसदों को अपने पुरुष सहकर्मियों से आपत्तिजनक टिप्पणियों का बुरा अनुभव रहा है। एन सी आर बी के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार देश में घरेलू हिंसा के 1.1 लाख से अधिक मामले दर्ज किये गये, सबसे अधिक मामले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से थे।¹⁰

महिला अधिकार के लिए काम करने वाले सिविल सोसाइटी समूह का मानना है कि ये आँकड़े केवल सरकारी रिकार्ड हैं वास्तविकता इससे कहीं अधिक है। वास्तव में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली यह हिंसा लैंगिक असमानता को ही दर्शाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की भयावह स्थिति को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि विश्व के 155 देशों ने घरेलू हिंसा एवं 140 देशों ने कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा के खिलाफ कानून बनाये हैं लेकिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि आज भी महिला को केवल उपभोग की वस्तु माना जाता है। महिलाओं का बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल एवं जबरन विवाह, साइबर बुलिंग, डॉक्सिंग आदि की बढ़ती घटनाएँ लैंगिक असमानता की खाई को और बढ़ा रही है।

सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक मूल्यों से प्रभावित है जिसमें स्त्रियों की अपनी स्वयं की पहचान नहीं होती बल्कि उसके पिता एवं पति ही उसकी पहचान का आधार हैं। पृथ्वी से अन्तरिक्ष तक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है लेकिन आज भी परिवार में लिये जाने वाले निर्णयों की शक्ति कुछ अपवादों को छोड़कर पुरुषों के हाथ में है।

राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो समानतावादी सिद्धान्त पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1951 से लेकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो बढ़ी है लेकिन उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता क्योंकि आजादी के 75 वर्षों के पश्चात् भी संसद में 10.5 प्रतिशत तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का राष्ट्रीय औसत मात्र 9 प्रतिशत है। पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है किन्तु अधिकांश मामलों में निर्णय लेने की शक्ति पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों में निहित होती है।

शैक्षिक क्षेत्र में भी हम लैंगिक भेदभाव को देख सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई है किन्तु आज भी महिलाएँ पुरुषों से पीछे हैं जबकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है फिर भी बालिकाओं को जहाँ सामान्य शिक्षा देने पर ज्यादा जोर है वहीं बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देने में अभिरुचि देखने को मिलती है।



आर्थिक क्षेत्र में महिला पुरुष में स्पष्ट भेदभाव देखने को मिलती है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का वेतन पुरुषों से काफी कम होता है। साथ ही बहुत सारे कार्य के अवसर महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं होते। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लगभग 17 प्रतिशत कम वेतन मिलता है। घर पर मालिकाना हक की बात करें तो नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 37 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम है। किन्तु आज भी अधिकांश आर्थिक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। साथ ही कामकाजी महिलाएँ अपनी आमदनी आज भी अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

खेल के क्षेत्र में महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों की तुलना कम पुरस्कार राशि दी जाती है। चाहे कोई भी खेल हो महिलाओं से हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों केवल अंग प्रदर्शन की वस्तु समझी जाती हैं अभिनेताओं की तुलना में उन्हें कम पारिश्रमिक दी जाती है। महिलाओं की स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में बच्चियों की देखभाल माता-पिता लड़कों के समान ही कर रहे हैं किन्तु महिलाओं की स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 51 प्रतिशत महिलाएँ मासिक धर्म की अनियमितता, हाइपोथायराइड, यूटीआई, फाइब्रोएड और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं।¹²

निष्कर्ष एवं सुझाव : इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 वर्षों के पश्चात् भी भारतीय स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न है। भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव की जड़ें काफी गहरी हैं। हमारे धर्मग्रंथ और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने समाज में उन मूल्यों को स्थापित किया है जो पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। समाज में इनकी श्रेष्ठता को बनाये रखने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं में उन मूल्यों को प्रविष्ट करा दिया जाता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में विकास के कम अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। स्वतंत्रता के पश्चात् जहाँ संविधान में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, शैक्षिक व रोजगार के क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हुए वहीं महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सभी सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम व सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं किन्तु फिर भी लैंगिक असमानता हमें समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। लैंगिक समानता की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय। केवल कानून बनाने से ही उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। लोगों की रुढ़िवादी सोच में बदलाव लाकर ही लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि महिलाओं के साथ भेदभाव केवल पुरुष ही नहीं करते, बल्कि महिलाएँ भी उसकी भागीदार हैं। साथ ही परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया की आधार स्तम्भ भी महिलाएँ हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाकर एक समावेशी एवं समृद्ध समाज की स्थापना में अपना योगदान दे सकती हैं। साथ ही सतत विकास से सम्बन्धित 17 लक्ष्यों एवं 169 उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि महिलाएँ भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करें। तभी भविष्य में एक समृद्ध एवं शांतिपूर्ण विश्व स्थापित होने की आशा हम कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गांधी, महात्मा, यंग इंडिया (1919-1922) पृष्ठ 965.
2. <https://www.weforum.org> June, 2023.
3. श्रीनिवास, एम0एन0 (1978) 'द चेंजिंग पोलीशन ऑफ इंडियन वूमन, हिन्दुस्तान पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
4. कौशिक, आशा, (2003), 'नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
5. सारस्वत, सन्मिल, (2005), 'महिला विकास एक परिदृश्य', नयन प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सिंह, मिनाक्षी निशांत, (2006), 'महिला सशक्तिकरण का सच', ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. देशाई, नीरा एवं ठक्कर, उषा, (2011), 'भारतीय समाज में महिलाएँ', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।
8. मोदी, अनीता, (2011), 'महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम', बाइकिंग बुक्स, जयपुर।
9. भसीन, कमला, (2016), 'भारतीय सन्दर्भ में नारी सशक्ति योजना', सिम्बर, 2016.
10. नायर, लीना, (2016), 'महिला सशक्तिकरण सरकार का दृष्टिकोण योजना' सितम्बर, 2016.
11. www.amarujala.com 26 Nov, 2021 by डॉ० ऐश्वर्या झा।
12. [Down to Earch.org.in](http://Down.to.Earch.org.in) 31 March 2023 by Dayanidhi.
